कार्यालय जिलाधिकारी, खगड़िया
(जिला शस्त्र शाखा)
आदेश

मैमुना खातुन, पति स्व0 फारूख अख्तर, ग्राम–पो0–पीपरालतीफ, थाना–परवत्ता जिला–खगड़िया ने अपने पति के मृत्योपरान्त उनके नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0 .–04/1985 (परवत्ता थाना) को रद्द करते हुए उस पर धारित शस्त्र को भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में बेचने का आदेश देन हेतु अनुरोध कियें हैं। उनके द्वारा शस्त्र को भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में जमा कर दिया गया है।

आवेदक से प्राप्त आवेदन के आलोक में आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (4) के तहत जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया द्वारा संचिका सं0–IV-22/2017 में दिनांक 04.07.2019 को दिये गये आदेश में शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी मो0 फारूख अख्तर, ग्राम–पो0– पीपरालतीफ, थाना–परवत्ता, जिला–खगड़िया के नाम से धारित शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या– 04/1985 (परवत्ता थाना) को रद्द (Cancal) किया जाता है। आर्म्स नियमावली 2016 के नियम 47 के तहत आवेदक मैमुना खातुन, पति स्व0 फारूख अख्तर, ग्राम–पो0–पीपरालतीफ, थाना– परवत्ता जिला–खगड़िया को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र सं0–19961 (दोनाली बन्दूक) एवं जिन्दा कारतूस भागलपुर गण हाउस, भागलपुर में बेचकर शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्तिका को मूल में इस कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

प्रभारी शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।

ज्ञापांक IV-22/2018 505 **/जी0, दिनांक** 05.07.19

प्रतिलिपि : आवेदक मैमुना खातुन, पति स्व0 फारूख अख्तर, ग्राम–पो0–पीपरालतीफ, थाना– परवत्ता जिला–खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, परवत्ता थाना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रबंधक, भागलपुर गण हाउस, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई0टी0प्रबंधक, खगड़िया को बेबसाईट पर अपलोड एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल भेजने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, खगड़िया को आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी बिहार राज्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी,
खगड़िया।